**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–11, बाराबंकी**
**जमानत आवेदन संख्या 21607/2026**
**CNR UPBB 0402 1613 2026**
**उ०प्र० राज्य बनाम सिराज आदि।**

अ०सं०–204/2021
धारा 323,325 भा०दं०सं०
थाना– रामसनेहीघाट, जनपद– बाराबंकी।

**दिनांकः 21.04.2026**

प्रार्थी/अभियुक्त **मो० नजीम** की ओर से अ०सं०–204/2021, अंतर्गत धारा–323,325 भा०दं०सं०, थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त की ओर से इस आशय का दिया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः निवेदन किया गया है उसका जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया जाये।

सुना एवं पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपित अपराध जमानतीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत आधार पर्याप्त है।

**आदेश**

अभियुक्त **मो० नजीम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 10,000 रूपये (दस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(**सक्षम द्विवेदी**)
**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**कक्ष सं०–11, बाराबंकी।**
**जे०ओ० कोड यू०पी० 2453**

**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–11, बाराबंकी**
**जमानत आवेदन संख्या 17282/2026**
**CNR UPBB 040172862026**
**राज्य बनाम सुमन आदि**

अ०सं०–342/2024
धारा– 323, 506 IPC
थाना– रामसनेहीघाट, जनपद– बाराबंकी।

**दिनांकः 24.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्तगण सुमन, मायाराम व विचित्र उर्फ सचेन्द्र तिवारी की ओर से अ०सं०–342/2024, अंतर्गत धारा–323, 506 IPC, थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का दिया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः निवेदन किया गया है उसका जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया जाये।

सुना एवं पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपित अपराध जमानतीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत आधार पर्याप्त है।

**आदेश**

अभियुक्तगण सुमन, मायाराम व विचित्र उर्फ सचेन्द्र तिवारी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा मु० 10,000 रूपये (दस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू निष्पादित करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(**सक्षम द्विवेदी**)
**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**कक्ष सं०–11, बाराबंकी।**
**जे०ओ० कोड यू०पी० 2453**

**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०–11, बाराबंकी**
**जमानत आवेदन संख्या 17284/2026**
**CNR UPBB 040172882026**
**राज्य बनाम विकास यादव उर्फ मनीष आदि**

अ०सं०–18/2021
धारा– 323, 504, 506 IPC
थाना– जहांगीराबाद, जनपद– बाराबंकी।

**दिनांकः 24.03.2026**

प्रार्थी/अभियुक्तगण विकास यादव उर्फ मनीष व विनय यादव की ओर से अ०सं०–18/2021, अंतर्गत धारा–323, 504, 506 IPC, थाना जहांगीराबाद, जनपद बाराबंकी में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है।

जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का दिया गया है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण अपनी जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः निवेदन किया गया है उसका जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर लिया जाये।

सुना एवं पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपित अपराध जमानतीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत आधार पर्याप्त है।

**आदेश**

अभियुक्तगण विकास यादव उर्फ मनीष व विनय यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा मु० 10,000 रूपये (दस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू निष्पादित करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(**सक्षम द्विवेदी**)
**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**कक्ष सं०–11, बाराबंकी।**
**जे०ओ० कोड यू०पी० 2453**